

संख्या-

प्रेषक,

श्री राम कुमार,
विश्व संघ,
उत्तर प्रदेश जलन ।

सेवा में,

शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग-2, मुख्य भवन,
प्रो. विहार, नई दिल्ली ।

22/03/2000 दिनांक 7-9-2000

विभाग 171 अनुसूचित जातों के प्रतिष्ठानों के संबंध में।

विषय:-

अनुसूचित जातों पर मुझे यह ज्ञान है कि विनायक पब्लिक स्कूल
तहरावौर वाराणसी को तालीमपरत080 नई दिल्ली में संबद्धता हेतु अनारपित प्रमाण पत्र
दिये जाने से इत राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के अंगीकृत नहीं है :-

- 111 विभाज्य की परीक्षित संस्थाओं का सम-सम पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 128 विभाज्य की प्रथम समिति में शिक्षा निरीक्षक द्वारा मार्गदर्शक स्वरूप होगा ।
- 134 विभाज्य में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघीयता विभाज्य में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 148 संस्था द्वारा राज्य सरकार से जिला अनुदान की वीम नदी की जायेगी और यदि पूर्व में विभाज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात् वैदिक शिक्षा परिषद से माध्यमिक प्राप्त है तथा विभाज्य की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली में प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त माध्यमिक तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः संचाल्य ही जायेंगे ।

---2---

- 151 संस्था के शिक्षक एवं शिक्षक/तार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित विनयमान तथा अन्य अर्थों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
 - 163 कर्मचारियों को सेवा से निलंबित जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनासलीय उ0प्र0 विभाज्य के कर्मचारियों के अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।
 - 171 राज्य सरकार द्वारा सम-सम पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
 - 181 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्निर्देशन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिष्ठानों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि जिले सम-सम पर पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिष्ठानों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की वृद्धि या शिथिलता करती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनारपित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री राम कुमार
विश्व संघ

पू0 सं0- संख्या 15 47/15-7-16(24)/2000, 75 दिनांक ।

- 1- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
शिक्षा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, जलन ।
- 2- माध्यमिक शिक्षा निरीक्षक, वाराणसी ।
- 3- शिक्षा विभाज्य निरीक्षक, वाराणसी ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विभाज्य, उ0प्र0, जलन ।

5- प्रकाश

6- माई काव्य

आज्ञा है,
अखिलेश चन्द्र गुप्त
अनु सचिव ।